विषयः- उच्च न्यायालय परिसर में स्थित जजेज कालोनी में निर्मित सरकारी आवास सं0 3,21,22,23 गेस्ट हाउस तथा पुराना महानिबन्धक आवास में विभिन्न प्रजातियों के लगे हुए 58 वृक्षों की नीलामी।

नीलामी की तिथि- 16 अगस्त, 2014, दिन शनिवार
स्थान- जजेज कालोनी, उच्च न्यायालय परिसर
समय- अपरहान् 1.00 बजे

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय विस्तार हेतु अर्जित राजकीय आवास सं0 3,21,22,23, गेस्ट हाउस तथा पुराना महानिबन्धक आवासों में प्रस्तावित न्याय कक्षों के निर्माण स्थल पर लगे विभिन्न प्रजातियों के 58 वृक्षों की नीलामी कार्यवाही दिनांक 16.08.2014 को नियत की गयी है। नीलामी प्राप्तकर्ता वृक्षों से सम्बन्धित प्राप्त अनुज्ञा पत्र वन विभाग से स्वंय प्राप्त करेगा तथा अनुज्ञा पत्र हेतु अपेक्षित धनराशि मुबलिग 5800/- रूपया का भुगतान स्वंय वन विभाग को करेगा। इसके साथ ही समस्त 58 वृक्षों की नीलामी रू045,000/- से कम नहीं होगी। अनुज्ञा पत्र प्राप्त होने के बाद ही वृक्षों के कटान का कार्य किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति/संस्था नीलामी बोली में भाग लेने हेतु नियत तिथि को समय अपरान्ह 1.00 बजे जजेज कालोनी उच्च न्यायालय परिसर में उपस्थित होगें। वृक्षों का विस्तृत विवरण नजारत अनुभाग से कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है।

उपनिबन्धक (एन)
उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

नीलामी की शर्ते

1. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि यह किसी भी बोली को बिना कारण बतायें अस्वीकार कर दें। अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।
2. प्रत्येक बोली बोलने वाले को नीलमी में भाग लेने से पूर्व रू05,000/- नगद जमा करना होगा। नीलामी समाप्त होने पर जिन व्यक्तियों की बोली अस्वीकृत होगी उसकी उक्त धनराशि तुरंत वापस कर दी जायेगी।
3. नीलामी की कार्यवाही में बोली बोलने वाले हेतु केवल वही व्यक्ति अधिकृत होगा अथवा अधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकेगा, जो उक्त धनराशि जमा करेगा।
4. नीलामी होने वाले पेड़ो को नीलामी से दो दिन पूर्व 14.08.2014 को अपराहान् 2.30 बजे से सायं4.00 बजे तक जजेज कालोनी में देखा जायेगा।
5. बोली बोलने वाले का यह उत्तरदायी होगा कि बोली से पूर्व उक्त पेड़ो का पूर्ण निरीक्षण कर लें।
6. जिसकी बोली अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी उसे बोली का 75 प्रतिशत धनराशि तुरंत जमा करना होगा, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति का निर्धारित धनराशि तुरंत जमा नहीं की गयी तो बोल निरस्त समझी जायेगी व जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

7. सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिक बोली बोलने वाले एक सप्ताह में शेष धनराशि जमा करनी होगी अन्यथा बोली निरस्त करकें जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी वा पेड़ो को पुनः नीलाम किया जायेगा।

8. पेड़ो की अन्तिम बोली जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति नहीं प्रदान की जाती है तब तक पेड़ो पर उच्च न्यायालय प्रशासन का अधिकार रहेगा।

9. नीलाम किये गये पेड़ो को उच्च बोली बोलने वाले को तब तक सुपुर्दगी नहीं दी जायेगी जब तक की उसने बोली की पूर्ण धनराशि का भुगतान न कर दिया गया हो।

10. जिस व्यक्ति के पक्ष में नीलामी अन्तिम रूप से स्वीकार होगी उस व्यक्ति को पेड़ो को पूरा मूल्य जमा कर देने के पश्चात तथा शर्त संख्या 9 के पूर्ण होने के पश्चात तत्काल पेड़ों को हटाना होगा।

11. यदि नीलामी की शर्तो के विषय में कोई विवाद उठता है तो महानिबन्धक माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

12. नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जनपद इलाहाबाद में स्थित सक्षम न्यायलय में ही की जायेगी।

उपनिबन्धक (एन)
उच्च न्यायालय इलाहाबाद